सरल कानूनी ज्ञान माला – 5

सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

भूमिका

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेण्ट स्थापित किया गया है जो कि नई दिल्ली में आर.के. पुरम में स्थित है। राज्य स्तर पर एक राज्य सैनिक बोर्ड एवं प्रत्येक जिले में जिला सैनिक बोर्डो की स्थापना की गई है तथा केन्द्र स्तर पर अलग से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनायें बनाई गई हैं, उनका लाभ पहुंचाने का दायित्व राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड का है इसलिये प्रत्येक सैनिक एवं उसके परिवार को जब भी राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हो तो उनको संबंधित सैनिक बोर्डो से सम्पर्क करना चाहिए।

उत्तराखण्ड राज्य में जिला स्तर पर सैनिक बोर्ड हैं जिनका यह दायित्व है कि जिले के अन्तर्गत आने वाले सैनिक के परिवारों के लिये जो भी कल्याणकारी योजनायें हैं, या उनका लाभ उन्हें प्राप्त करावें। जिले के अधीन जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं या निवास कर रहे हैं, उनका जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। ताकि कोई सैनिक यहां पंजीकृत नहीं है तो वह यहाँ पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि कोई सैनिक बोर्ड द्वारा जो भी लाभ लिये जाने हैं, उनको दिया जा सके। राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक बोर्ड के स्तर पर सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है :–

1– सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने संबंधी।

2– स्वयं अपना रोजगार चलाने संबंधी।

3– सैनिक एवं उनके परिवारों को शिक्षा, डॉक्टरी इलाज, वित्तीय सहायता, यात्रा सुविधायें आदि कल्याणकारी योजनायें।

1– सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने संबंधी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण निम्न प्रकार किया गया है :–

(अ) केन्द्र सरकार के विभागों में वर्ग 'ग' के पदों के लिये 10 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' के पदों के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ब) पब्लिक सेक्टर, अण्डर टेकिंग्स अर्थात् बैंक, बिजली बोर्ड इत्यादि सरकारी संस्थाओं में वर्ग 'ग' के पदों के लिये 14.5 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' के पदों के लिये 24.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व सैनिकों के लिए अर्द्ध सैनिक बलों में भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अधीन सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों के लिए की है जो 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है।

उत्तराखण्ड राज्य ने हाल ही में पुलिस में भर्ती की है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी लाभ दिया गया है। इसलिए जो भी भूतपूर्व सैनिक इसमें रुचि रखते हों उनको चाहिए कि वे अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें ताकि वह चाहें तो उत्तराखण्ड पुलिस में भर्ती होने का लाभ उठा सकें। इस प्रकार जहां एक तरफ फौज में 30 से 40 वर्ष की आयु में ही कई जवानों को सेवा निवृत्त सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसका वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2– स्वयं अपना रोजगार चलाने सम्बन्धी :

चूंकि फौज में सैनिकों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सेना से सेवानिवृत्त होने पर वे अपना स्वयं का रोजगार चला सकें इसलिए सेवा निवृत्त सैनिकों को अपना रोजगाार चलाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है और ऐसे रोजगार के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई ट्रेनिंग चलायी जा रही है और जो भी सैनिक ऐसे विशेष रोजगार को शुरू करना

चाहता है तो उसे ट्रेनिंग का लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसमें उसे न केवल ट्रेनिंग दी जायेगी बल्कि उसकों ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रोजगार चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार के स्वयं रोजगार को चलाने हेतु ट्रेनिंग के पचासियों व्यवसाय हैं जिसके बाबत् ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है। स्वयं रोजगार चलाने के संबंध में 15 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सैनिकों द्वारा रोजगार चलाने के लिए ब्याज में छूट दी गयी है। इस रोजगार के अतिरिक्त जो सैनिक किसान हैं वह भी अपनी खेती में सुधार करने एवं खेती से रोजगार चलाने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भी कर्जा कम ब्याज पर देने की सुविधा है। जिनका लाभ वे संबंधित सैनिक बोर्डो से प्राप्त कर सकते हैं। इन रोजगारों को चलाने संबंधित विधिक औपचारिकताओं की जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं।

3– सैनिक एवं उनके परिवारों को शिक्षा, डॉक्टरी इलाज, वित्तीय सहायता, यात्रा सुविधायें आदि कल्याणकारी योजनायें।

(अ) मिट्टी तेल रसाई गैस एजेन्सियों एवं पेट्रोल पम्प के आबंटन में आरक्षण की सुविधा :

सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं में मिट्टी का तेल, गैस एजेन्सियों, पेट्रोल पम्प इत्यादि उपलब्ध करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या पी. 19011/17/91 ओ.आई.सी. दिनांक 4 अगस्त, 1993 द्वारा रसोई गैस, मिट्टी तेल एजेन्सियों एवं पेट्रोल पम्पों के आबंटन में सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार ऐसे सभी परिवार जिनमें पति सेना में शहिद हुए हैं उनकी विधवाओं या आश्रितों जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो और जो कक्षा–10 तक शिक्षा ग्रहण किये हों और जो उसी क्षेत्र में निवास करते हों उनको ही उस क्षेत्र से संबंधित पेट्रोल पम्प, मिट्टी तेल एवं रसोई गैस एजेन्सियों के आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था का लाभ सेना में शहीद हुए सैनिकों के अलावा ऐसे सैनिकों को भी प्रदान की गयी है जो युद्ध में या सेवा के दौरान अपंग हो गए हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

(ब) फौज की निष्प्रयोज्य वाहनों को प्राप्त करने की सुविधा :

फौज में निश्चय ही लाखों गाड़ियों का प्रयोग होता है और समय–समय पर गाड़ियों को निष्प्रयोज्य किया जाता है। इन गाड़ियों को जिनमें जीप, जोंगा, मोटर साइकिल, ट्रक इत्यादि हैं जिसको असानी से आम जीवन में प्रयोग में लाया जा सकता है इसलिए ऐसी सभी गाड़ियों को जो फौज के नजरिये से फालतू हों, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड व राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों या उनके परिवारों द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(स) मकान निर्माण, मरम्मत करने से संबंध में वित्तीय सुविधा :

प्रत्येक राज्य सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को अपने मकान को बनाने या मरम्मत करने के लिए ऋण देने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सभी शहीद होने वाले सैनिकों को परिवारों के लिए यदि मकान बनाना है या उसकी मरम्मत की जानी है तो उसके लिए 10,000.00 रुपये तक की धनराशि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध करायी जाती है इसलिए यदि शहिद सैनिक के परिवार को मकान बनाना या उसकी मरम्मत करनी हो तो इस सम्बन्ध में सैनिक बोर्ड से सम्पर्क करना चाहिए।

(द) भूतपूर्व सैनिक, सैनिकों की लड़कियों के विवाह में अत्यधिक सहायता :

सभी मंत्री सुरक्षा फण्ड के माध्यम से वृद्ध एवं असहाय सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के लिए 500.00 प्रतिमाह पेंशन के रूप में तथा लड़की की शादी के लिए 10,000.00 डाक्टरी इलाज के लिए 8,000.00 रूपये तथा बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक बच्चे को 35.00 रूपये प्रतिमाह बारहवीं कक्षा तक यह सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसी तरह कई अन्य आर्थिक लाभ भी प्राप्त किये जा सकते हैं जिनका विस्तृत विवरण जिला सैनिक बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।

(य) भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों को सैनिक विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा :

सभी सैनिकों को ठहरने हेतु सैनिक विश्राम गृहों की सुविधा है। सैनिक जो गाँवों में या कस्बों में रहते हैं उन्हें प्रायः अपने कार्य हेतु अन्य जिलों में भी जाना पड़ता है। अन्य राज्यों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के कई जिलों में सैनिक रेस्ट हाउस बने हुए हैं जिनका लाभ सैनिक उठा सकते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है उसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा, बाराबंकी, गौण्डा इत्यादि कई जिलों में सैनिक विश्राम गृह निर्मित है। जहाँ तक उत्तराखण्ड का प्रश्न है, यह अल्मोड़ा, लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत, हल्द्वानी, बागेश्वर, रानीखेत, ऋषिकेश, कोटद्वार, देवथान, डौडीखाल सभी जगहों पर निर्मित हैं तथा इनमें ठहरने हेतु सैनिकों को आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है और वहाँ निःशुल्क ठहरने की सुविधा है। इसलिए सभी सैनिक एवं उनके परिवारों को जब भी बाहर जाना हो तो उन्हें सबसे पहले इस बात की जानकारी रखनी चाहिए ताकि वह इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इस बाबत् विस्तृत जानकारी सैनिक बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

(र) सैनिकों के परिवार को शिक्षा संबंधी सुविधा :

1– जहाँ सैनिकों की लड़ाई में मृत्यु होती है या अपंग हो चुके हों उन सबके परिवारों को शिक्षण संस्थाओं में कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। इसी प्रकार पुस्तकों लेखन सामग्री व यूनिफॉर्म पर जो खर्चा होता है वह भी निःशुल्क है। यह सारा भार रक्षा मंत्रालय को उठाना पड़ता है जो शिक्षण संस्थाएं वहाँ से प्राप्त करें तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में 25 प्रतिशत और मिलिट्री स्कूल में 67 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है।

2. व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ :

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेज संचालित हैं एवं जो भी दाखिला इनमें होता है उनमें प्रत्येक राज्य में जो भी मेडिकल कालेज होंगे उन सभी मेडिकल कालेजों की कुल सीटों में से एम. बी.बी.एस. की 25 सीटें तथा बी.डी.एस. की एक सीट शहीद सैनिकों, सेवा के दौरान अपंग हुए सैनिकों एवं सेना पदक से सम्मानित सैनिकों के परिवारों के लिए आरक्षित हैं।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग कालेजों में अलग–अलग हर प्रान्त में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।

आई.आई.टी. पूरे भारतवर्ष में मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़कपुर, चैन्नई, बनारस एवं रूड़की में हैं इन प्रत्येक आईआई.टी. में प्रवेश की परीक्षा ली जाती है और प्रत्येक आई.आई.टी. में 2 सीटें सैनिकों के परिवार हेतु आरक्षित हैं। चूंकि पूरे भारत में सात आई.आई.टी. हैं और जिसके लिए कुल 14 सीटें आरक्षित की गयी हैं जिनका लाभ वे प्राप्त कर सकते हैं।

(अ) रेल द्वारा यात्रा :

सैनिक विधवाओं को रेल यात्रा करने पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी गयी है जिसका लाभ केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से परिचय पत्र के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संबंधित विधवा को परिचय पत्र एक बार मिल जाने के बाद उसको दिखाकर टिकट में 75 प्रतिशत की छूट देकर 25 प्रतिशत किराया ही देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसे सैनिक जिन्हें पी.वी.सी., एम.वी.सी., अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो उन सबको रेल से यात्रा करने पर 50 प्रतिशत किराये की छूट दी गयी है जिसका लाभ वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(ब) हवाई यात्रा :

सभी सैनिकों जिन्हें पी.बी.सी., एम.बी.सी., अशोक चक्र, कीर्ति चक्र से नवाजा गया हो या सभी ऐसे सैनिक जो स्थाई रूप से अपंग हो चुके हों उन्हें एवं उनके आश्रितों को एवं युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को भी हवाई यात्रा करने में 50 प्रतिशत की किराये में छूट का प्राविधान रखा गया है।

(स) विधिक सहायता :

भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवा में कार्यरत सैनिकों की निजी सम्पति के संबंध में विवाद होना भी स्वाभाविक है जिसमें मुकदमेबाजी का मन भी वे धारण कर सकते हैं। ऐसे सभी झगड़ों के निवारण हेतु जहाँ एक तरफ निःषुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति स्थापित है वहीं सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सुलह समझौते का भी प्रयास किया जाता है ताकि परिवार में अन्तर्कलह समाप्त किया जा सके और सैनिक अपनी ड्यूटी को बिना किसी तनाव के निर्वहन कर सके इसलिए ऐसे सभी सैनिक जिनकी विवाह संबंधी

कोई समस्या हो जिसमें वह चाहे भरण पोषण के लिए खर्चे की समस्या हो या तलाक या दहेज संबंधी समस्या हो इन सबके निवारण के लिए वे कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजनै या अध्यक्ष, जिला जज को प्रार्थना पत्र देकर उनके निवारण करने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। जिला न्यायालय में ऐसे सैनिक जिनकी कोई पारिवारिक सम्पति या झगड़े संबंधी कोई समस्या हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सचिव या अध्यक्ष के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य सचिव से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अर्द्धसैनिक बल एवं उनके परिवारों को भी राज्य सरकार की ओर से सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। चूंकि अर्द्ध सैनिक बल रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होते है इसलिए वह जिला स्तर पर स्थापित सैनिक बोर्ड से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए ऐसे सभी कार्यरत एवं भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल जिनमें सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बीपी., एस.एस.बी., सी.आई.एफ. इत्यादि का जहाँ तक संबंध है उन्हें व उनके परिवारों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है और ऐसे बल के लोगों को भी राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं जिनकी जानकारी वे संबंधित जिलाधिकारी से सीधे सम्पर्क करके कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त कोई विस्तृत जानकारी करनी हो तो समिति से पत्राचार करके कर सकते है। जहाँ तक इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श देने का प्रश्न है उनके लिए भी पारिवारिक कलह के निवारण हेतु जिसमें भरण–पोषण संबंधी खर्चा, तलाक संबंमी मुकदमें दायर करने के लिए निःशुल्क वकील की सेवा एवं सुलह समझौते का लाभ समिति / प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करने हेतु सैनिक व भूतपूर्व सैनिक की तरह वे पाने के अधिकारी हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .....

विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल